मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एमएनजेवाई/13/ 108.   दिनांक : 15.5.13

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषयः– "मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना" के द्वितीय एवं तृतीय चरण की सफल क्रियान्विति के संबंध मे।

मैं आपको "मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना" के प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए बधाई देता हूँ। जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेज के संबद्व चिकित्सालयों में निःशुल्क जांचों का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इसी क्रम में योजना का द्वितीय चरण दिनांक 01.07.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर 28 जांचे एवं तृतीय चरण दिनांक 15.08.13 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर 15 निःशुल्क जांचो का क्रियान्वयन किया जाना है।

द्वितीय एवं तृतीय चरण के अन्तगर्त राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (आरएमएससी) द्वारा चिकित्सालयों द्वारा मांगे गये जांच उपकरण व लैब रिएजेन्ट की आर.सी. उपलब्ध करवायी जा रही है।

इस संबंध में योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों (Guidelines) के अनुसार जो कि आरएमएससी की वेबसाईट www.rmsc.nic.in पर भी उपलब्ध है, उपलब्ध है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में Civil Work, Equipment, Reagent/Consumables and Manpower आदि की उपलब्धता की समय–समय पर समीक्षा करे।जिला कलक्टर/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारियों के साथ दिनांक 18.05.13 को प्रारम्भिक बैठक आयोजित कर योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण के अन्तर्गत की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा करे एवं दिनांक 03.06.2013 को द्वितीय बैठक आयोजित कर योजना की तैयारियों (Implementation) की प्रगति की पुनः समीक्षा करे।

इसके पश्चात् दिनांक 03.06.13 से 15.06.13 तक समस्त उपखण्ड अधिकारियों (SDOs) से सलंग्न चैक लिस्ट में रिर्पोट प्राप्त कर लेवे एवं दिनांक 24.06.13 से 29.06.13 तक निःशुल्क की जाने वाली जांचो का सशुल्क पूर्वाभ्यास (Mockdrill) करावें।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सीएचसी तथा खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रभारी अधिकारी पीएचसी, के साथ बैठक आयोजित कर योजना की निम्न गतिविधियाँ (SHORT TERM ACTIVITIES) के क्रियान्वयन की सुनिश्चिता करावें। इसमें RMRS की बैठके, renovation एवं repair, collection center, report distribution centers की स्थापना, मेनपावर एवं equipment की स्थापना इत्यादि विषयों पर चर्चा कर समयबद्व योजना बना ली जावें।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाच योजना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

इस संबंध में यदि कोई भी कठिनाई हो तो कंट्रोल रूम नम्बर 0141–2224831 पर कार्यालय समय पर clarification लिया जा सकता है। जो कार्य करवाये जाने है, वे निम्नानुसार है:–

1. लैब एवं एक्स–रे विभाग का सिविल मरम्मत एवं पुननिर्माण कार्य (Repair, Renovation, Establishment of Collection Counter & Report Distribution Centers)
2. आरएमआरएस के माध्यम से मानव संसाधन की व्यवस्था (Deployment through RMRS)
3. उपकरणों की मरम्मत एवं नये उपकरणों की खरीद (Repair of Existing Equipment & Procurement of New Diagnostic Equipments)
4. लैब रिएजेन्टस् आदि का क्रय (Purchase of Reagent & Consumbles)
5. चिकित्सकों एवं तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण (Orientaion and Hands on Training of Doctors and LT, LA, RG etc.) संबंधित जिला चिकित्सालयों अथवा मेडिकल कॉलेजों से संबंद्व चिकित्सालयों में करवाया जाना है।
6. प्रयोगशाला के बाहर बोर्ड पर की जाने वाली जाँचों की सूची (Display Boards), दिशा–सूचक, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी पैथौलॉजी, रेडियोलॉजी का नाम एवं मोबाइल नं0 तथा लैब टैक्निशियन, रेडियोग्राफर/सहा0 रेडियोग्राफर का नाम एवं मोबाइल नं0 अंकित करावे।

चूंकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी फ्लेगशिप योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क जांच सुविधा प्रदान की जानी है, अतः द्वितीय एवं तृतीय चरण के चिकित्सा संस्थानों पर योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

13/1/13

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

क्रमांकः– एफ0 ( )एमएनजेवाई/चिकित्सा/2013/ दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चि0 स्वा0 एवं प0क0 एवं आयुर्वेद विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, राज0 जयपुर।
7. निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक/नोडल अधिकारी, एमएनजेवाई, राज0 जयपुर।
9. समस्त प्रभारी, सीएचसी राजस्थान।
10. सर्वर रूम प्रभारी को भेजकर लेख है कि संबन्धित को ई–मेल करावें एवं विभागीय बेब साईट पर अपलोड करें।
11. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग